# —: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद :—

पीठासीन अधिकारी :— देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :— 83/2016

**उनवान**

1. छोटू पुत्र बख्ता,
2. मैना,
3. शांन्ति पुत्रियॉ बख्या समस्त जाति रेगर नि0 बनेवडा, नसीराबाद

—— प्रार्थीगण :— जरियें अधिवक्ता श्री रविन्द्र शर्मा

**बनाम**

1. देवी पुत्र बख्ता जाति रेगर नि0 बनेवडा, नसीराबाद, मृत जरियें वारिस
1/1. प्रेम देवी पुत्री देवी
1/2. सुरजमल पुत्र देवी
1/3. शोभा पुत्री देवी
1/4. लेखराज पुत्र देवी
1/5. कान्ता पुत्री देवी
1/6. मंजू पुत्री देवी
1/7. रेखा पुत्री देवी
1/8. लीला पत्नी छगनलाल
1/9. मनोज पुत्र छगनलाल
1/10. जितेन्द्र पुत्र छनगलाल
1/11. किरण पुत्री छगनलाल समसत जाति रेगर निवासी ग्राम बनेवडा, नसीराबाद
2. राज0 सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद ——

—— अप्रार्थीगण :— 1 जरियें अधिवक्ता श्री सीताराम रावत
2 जरियें राज. पैरोकार

**<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955</u>**

—: आदेश :— दिनांक :— 8.16.25

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने उक्त आवेदन पत्र पे[illegible] [illegible]री में प्रार्थीगण व अप्रार्थी की संयुक्त खातेदारी की भूमि स्थित है जिसका [illegible] प्रकार है :—

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 15:31:05 IST
Reason: SelfAttested

| खाता संख्या | खसरा नम्बर | रकबा |
|---|---|---|
| 119/113 | किता 4 | 3.4[illegible] |

——2

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

उपरोक्त आराजी में प्रार्थीगण का 1/2 हिस्सा व अप्रार्थी का 1/2 हस्सा निहित है। आराजी मुतनाजा का मौखिक बंटवारा हो गया है किन्तु राजस्व अभिलेख में भूमि अविभाजित है। अप्रार्थी बिना किसी कारण प्रार्थीगण के कब्जे काश्तमें दइखलदांजी कर रहे हैतथा अन्यत्र हस्तांतरण करने पर आमादा है। अतः अप्रार्थीगण को पाबंद किया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि चौसला जमाबंदी सम्वत् 2023 से 2026 में आराजी मुतनाजा पुराने चौसाला खसरा नम्बर 69 रकबा 21-9-10 अप्रार्थी संख्या 1 के पूर्वज के नाम दर्ज थी। वंर्किग जमाबंदी व हाल जमाबंदी में उक्त आराजी त्रुटिपूर्ण तरीके से प्रार्थीगण के नाम भी दर्ज कर दी गयी। उक्त आराजी का अंकन दुरूस्त करने के लिये अप्रार्थी द्वारा हाजा न्यायालय में दुरूस्ती का प्रकरण पेश किया है जिसका उनवान देवी बनाम छोटू है जो विचाराधीन है। अतः प्रार्थना पत्र सव्यय खरिज किया जावे।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्तागण व राज. पैरोकार की बहस पर मनन किया। प्रकरण में निम्नानुसार आदेश पारित किये जाते है।

**प्रथम दृष्टया मामला :-**

ग्राम बाघसुरी के खाता संख्या 119/113 किता 4 रकबा 3.48 के खातेदार प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 है। हाल राजस्व अभिलेख में आराजी मुतनाजा संयुक्त खातेदारी की है जिसका विभाजन नही हुआ है। अप्रार्थी संख्या 1 भूमि पर 1/2 हिस्से का खातेदार है। बिना विषम परिस्थितियों के अप्रार्थी संख्या 1 को पाबंद किया जाना न्यायोचित नही है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा आराजी मुतनाजा के इन्द्राज दुरूस्ती का प्रकरण पृथक से प्रस्तुत किया है जो हाजा न्यायालय में विचाराधीन है। प्रार्थीगण प्रकरण में विशेष पारिस्थितियॉ सिद्व करने में असफल रहा हैं। प्रकरण प्रथम दृष्टया बहक प्रार्थीगण सिद्व नही होता है।

2. अपूरणीय क्षति पारित होने की संभावना :- विधि का यह सुस्थापित सिद्वान्त है कि जब अस्थायी निषेघाज्ञा चाही गयी हो तो यह साबित करना होगा कि यदि व्यादेश नही दिया गया तो उसे अपूरणीय क्षति होगी। प्रस्तुत प्रकरण में आराजी मुतनाजा हाल राजस्व अभिलेख में प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 की सह खातेदारी में दर्ज है। ऐसी परिस्थिति में अपूरणीय क्षति की संभावना भी प्रार्थी के पक्ष में सिद्व नही होती है।

3. सुविधा का संतुलन :- न्यायहित में व्यादेश मंजूर करने पर प्रभावित पक्ष को होने वाली क्षति को घ्यान में रखते हुये युक्ति युक्त विवेक का प्रयोग किया जाकर ही सुविधा का संतुलन का निर्णय किया जा सकता है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में प्रकरण प्रथम दृष्टया बहक प्रार्थी सिद्व नही होता है व अपूरणीय क्षति की संभावना भी प्रार्थी के पक्ष में नही है। तदनुसार सुविधा का संतुलन भी बहक प्रार्थी सिद्व नही होता है। शेष [illegible] होगे।

**आदेश** :- अतः ग्राम झडवासा की उक्त आराजी मुतना[illegible] का प्रार्थना पत्र **"खारिज"** किया जाता है। पक्षकार खर्चा स्वयं व[illegible]

आदेश आज सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 15:31:05 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद